शरीर रचना विभाग में देहदान की प्रासंगिकताः एक समीक्षा

अर्चना रानी
एसोसिएट प्रोफेसर, शरीर रचना विभाग
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ(उ0 प्र0)–226003, भारत
archana71gupta@yahoo.co.in

सार

चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के लिये मरणोपरान्त शरीर का दान महादान माना गया है। दान में मिले हुए शव ही चिकित्सा शिक्षकों विशेष रूप से एनाटॉमिस्ट के लिए शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। शारीरिक विच्छेदन के बिना एनाटॉमी का सम्पूर्ण ज्ञान सम्भव नहीं है। एनाटॉमी एक्ट में भी अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं को लावारिस शव की आपूर्ति का प्रावधान है। इस अनुच्छेद में, शरीर दान का महत्व, उसकी उपयोगिता और विभिन्न कारकों जैसे धर्म, संस्कृति, आयु आदि पर प्रकाश डाला गया है।

बीज शब्द : एनाटॉमी, एनाटॉमी एक्ट, चिकित्सा, शरीर–दान, शिक्षा।

Relevance of body donation in Anatomy: a review article

Archana Rani
Associate Professor, Department of Anatomy
King George Medical University, Lucknow(U.P.)-226003, India
archana71gupta@yahoo.co.in

Abstract

Body donation is a greatest noble deed given for medical research and education after death. Donated bodies remain a principal teaching tool for medical teachers especially anatomists. The perfect knowledge of anatomy cannot be completed without body-dissection. The Anatomy Act also has provision to provide unclaimed bodies to hospitals and teaching institutions. In this article, the importance of body donation, its suitability and various factors like religion, culture, age etc. is discussed.

Key words: Anatomy, Anatomy Act, medical, body-donation, education.

भूमिका

एनाटॉमी(शरीर रचना विज्ञान), चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने वाला सबसे पहला, बुनियादी और महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय मूलरूप से मानव शव के विच्छेदन पर आधारित है। एक सफल चिकित्सक बनने के लिए, एनाटॉमी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है जो मानव शव के विच्छेदन से ही प्राप्त हो सकता है। देश में बढ़ते हुए चिकित्सा संस्थाओं के खुलने से, शरीर विच्छेदन के लिये शवों की माँग बढ़ गयी है। शवों की आपूर्ति आजकल 'देहदान–अभियान' के माध्यम से पूरी हो रही है। मरणोपरान्त अपने शरीर को चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए देने को देह–दान कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य मेडिकल छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाने का एक अच्छा कदम बढ़ाता है जिससे आने वाली पीढ़ी और समाज का कल्याण हो सके।

चिकित्सा संस्थाओं में प्रथम वर्ष के छात्रों को एनाटॉमी की शिक्षा रासायनिक द्रवों द्वारा संरक्षित किए गए शवों पर दी जाती है। इससे छात्र शरीर के विभिन्न अंगों को अपनी आँखों से देखने के साथ ही छूकर और पकड़कर भी उसकी जानकारी ले सकता है। यह सर्वविदित है कि देखे और सुने हुए तथ्य हमें ज्यादा दिनों तक याद रहते हैं। अतः एनाटॉमी विषय याद रखने के लिए शव–विच्छेदन आवश्यक है। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

देहदान और एनाटॉमी एक्ट

भारत के विभिन्न प्रदेशों में एनाटॉमी एक्ट का प्रयोजन चिकित्सा संस्थाओं को शव–विच्छेदन के लिये लावारिस शवों की आपूर्ति करना है, जिससे शिक्षा और अनुसंधान में मदद मिल सके। इन संस्थाओं में उपयोग होने वाले शव, अधिकतर पुलिस

को मिले हुए लावारिस शव होते हैं। कुछ शव, शिक्षा के लिए मृतक की इच्छा के अनुसार परिवार द्वारा दान की हुई होती हैं। पटनायक(2002) के अनुसार एनाटॉमी एक्ट, एक प्रादेशिक एक्ट है। यह एक्ट, चिकित्सा शिक्षा में शवों के इस्तेमाल का नियंत्रण करता है। कोई भी अपने शरीर का दान कर सकता है। स्वास्थ्य, रोग या उम्र शरीर दान में बाधक नहीं है, पर कौन सा अंग उपयोग में लाना है, इस पर निर्भर करता है। सभी दान देने वालों की एच0आई0वी/एड्स, हिपेटाइटिस बी0 और सी0, टी0 बी0 आदि के लिए जाँच की जाती है। इनमें से जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनका दान निरस्त कर दिया जाता है।

बढ़ती हुई शिक्षा और अनुसंधान को देखते हुए, देहदान का महत्व बहुत बढ़ गया है। आजकल, बहुत से लोगों ने इस बात को समझा है और अपने शरीर को मृत्युपरांत दान के लिए पंजीकृत करवाने के लिए आतुर हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में एनाटॉमी एक्ट

भारत में एनाटॉमी एक्ट सन् 1949 में सभी प्रदेशों में एक साथ लागू हुआ। इस एक्ट के अन्तर्गत शवों का शिक्षा के लिए तभी उपयोग किया जाए, जब मृत्यु, जिला अस्पताल या सार्वजनिक स्थल पर हुई हो और पुलिस के अनुसार 48 घंटे तक उसका कोई रिश्तेदार न मिला हो(सुब्रमण्यम, 1999)। पंजाब एनाटॉमी एक्ट, 1963; मैसूर एनाटॉमी एक्ट, 1957 तथा कनार्टक एनाटॉमी एक्ट 1998 आदि थोड़ी विभिन्नता के साथ अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

नियमानुसार, चिकित्सा संस्थाओं को शव को किसी भी कारण से न लेने का अधिकार प्राप्त है।

देहदान का महत्व

देहदान से छात्रों एवं शोधकर्ताओं को मानव शरीर के अध्ययन करने का सुअवसर मिलता है। किताबें एवं कम्प्यूटर द्वारा अर्जित ज्ञान, शव–विच्छेदन द्वारा प्राप्त ज्ञान का स्थान नहीं ले सकते हैं। इसका स्थान उन सबसे ऊपर है। मानव शरीर के शव का शिक्षा में उपयोग सदियों से चला आ रहा है।

विभिन्न कारकों का देहदान पर प्रभाव

उम्र, धर्म, संस्कृति, मृत्यु के प्रति विचारधारा और मानवता के प्रति जागरूकता देह–दान को प्रभावित करने वाले कारक हैं(गोल्वेट आदि, 2000)।

सभी धर्मों में शरीर एवं अंग–दान को एक परोपकार बताया गया है। अधिकतर लोगों का यह मानना है कि यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। धार्मिक रूढ़िवादी विचारधाराएँ भी लोगों का पथभ्रष्ट करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देहदान उनकी धार्मिक आस्था के विरूद्ध है। इस कारण से वह अपनी सहमति देने में हिचकिचाते हैं।

जनमाध्यम की भूमिका

ज्ञान की कमी, धार्मिक आस्था, अविश्वास और अपूर्ण जानकारी देहदान में बाधक है(केनटारोविच, 2005)। कोनेसा आदि (2004) ने टेलीविजन, प्रेस, रेडियो, पोस्टर, पत्रिका, जनसभाओं आदि स्रोतों की भूमिका का देहदान पर अध्ययन किया। इसमें सर्वोपरि भूमिका टेलीविजन की पायी गयी है।

निष्कर्ष

सभी को अपनी स्वेच्छा से शरीर–दान को व्यवहार में लाना चाहिए। शरीर दान का व्यक्तिगत निर्णय चिकित्सा शिक्षा की अच्छी समझ और प्रगति में सहायक है। स्वैच्छिक देहदान प्रेरित करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि चिकित्सा संस्थाओं में मानव शवों की कमी न होने पाए।

संदर्भ

1. केनटारोविच, एफ0(2005) पब्लिक ओपिनियन और ऑर्गन डोनेशन सजेशन्स फॉर ओवरकमिंग बैरियर्स। एन ट्रांसप्लांट, खण्ड 10, अंक 1, मु0 पृ0 22–25।
2. कोनेसा सी0; रिओस ज़ैमबूडियो ए0; रामीरेज़ पी0; केनटेरास एम0; रोडरीग्यूज़ एम0 एम0 तथा पारिला पी0 (2004) इन्फ्लूयन्स ऑफ डिफरेन्ट सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉरमेशन ऑन एटीट्यूड, टुवर्ड ऑर्गन डोनेशनः ए फैक्टर एनालिसिस। ट्रान्सप्लान्ट प्रॉकः, खण्ड 36, अंक 5, मु0 पृ0 1245–1248।
3. गोलचेट जी0; कार जे0 तथा हैरिस एम0 जी0(2000) व्हाय वी डोन्ट हैव इनफ कॉर्निया डोनर्स? ए लिटरेचर रिव्यू एण्ड सर्वे। ऑप्टोमेट्री, खण्ड 71, अंक 5, मु0 पृ0 318–328।

4. पटनायक वी0 वी0 जी0(2002) एडिटोरियल, जर्नल ऑफ एनाटॉमिकल सोसायटी ऑफ इण्डिया, खण्ड 50, अंक 2, मु0 पृ0 143–144।
5. सुब्रमण्यम बी0 वी0(1999) लॉ इन रिलेशन टू मेडिकल मेन। इन मोदी मेडिकल जूरिसप्रूडेन्स एण्ड टॉक्सिकोलॉजी। 22वां एडिशन; बटरवर्थस, नई दिल्ली, मु0 पृ0 724–727।